# राजस्थान सरकार
## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
## (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(316) ग्राविवि/ग्रुप-5/पीएमएवाई/अभि./तक.अनु.स./2017-18 जयपुर, दिनांक 6 मार्च, 2018

### -:: संशोधित बैठक सूचना ::-

समसंख्यक पत्र दिनांक 28 फरवरी 2018 के द्वारा विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक **दिनांक 07.03.2018 को प्रातः 10.00 बजे** आहुत की गई थी। अपरिहार्य कारणों से अब यह बैठक **दिनांक 08.03.2018 को प्रातः 10.00 बजे से 11.00 बजे तक** ग्रामीण विकास विभाग के समिति कक्ष में आहुत की जावेगी। बैठक में मुख्यालय स्तर के निम्न अधिकारी एवं अधिशाषी अभियंता, अभियांत्रिकी, जिला परिषद् जयपुर समिति कक्ष में तथा संभाग स्तर व टोंक जिले के अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद्, की वी.सी. के माध्यम से उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है :-

1. मुख्य अभियंता एवं अति0 सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी।
3. अति0 निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू-संरक्षण, विभाग।
4. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), महात्मा गांधी नरेगा/द्वारा मनोनीत अधिकारी।
5. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
6. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस),महात्मा गांधी नरेगा।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
8. परियोजना अधिकारी (अभि.), ग्रामीण विकास।
9. श्री अरविन्द सक्सेना, अधिशाषी अभियंता, ईजीएस मुख्यालय, ग्रामीण विकास
10. श्री राजेश बंसल, अधिशाषी अभियंता, जि.प. टोंक।
11. अधिशाषी अभियंता (अभि.) जिला परिषद्, जयपुर (विभागीय समिति कक्ष में) ।
12. अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद संभाग स्तर के जिले (अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर) (वी.सी के माध्यम से जिला मुख्यालय पर)।

एजेण्डा बिन्दु एवं विवरण की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

बैठक में मुख्यालय स्तर के सदस्य समिति कक्ष, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय में एवं सम्भाग/जिला स्तरीय सदस्य जिला मुख्यालय पर वीसी के माध्यम से बैठक में निर्धारित तिथि व समय पर भाग लेने का श्रम करावे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंराजवि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
5. निजी सचिव, निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू-संरक्षण विभाग।
6. मुख्य अभियंता एवं अति0 सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
7. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग।
8. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), महात्मा गांधी नरेगा।
9. जिला कलेक्टर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर जोधपुर, टोंक एवं उदयपुर, राजस्थान।
10. संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.), ग्रामीण विकास।
11. अति0 निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू-संरक्षण विभाग।
12. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/महात्मा गांधी नरेगा/पंचायती राज विभाग।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं टोंक को भेजकर निवेदन है कि संभाग मुख्यालय पर संबंधित अभियंताओं को वी.सी. के माध्यम से प्रस्तावित बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित करावें।
14. श्री श्रीपाल यादव, प्रभारी एनआईसी, वी.सी. को निर्धारित समय पर व्यवस्था सुनिश्चित करने बाबत्।
15. अधिशाषी अभियंता (अभि.) जिला परिषद्, जयपुर को विभागीय समिति कक्ष में उपस्थित होने बाबत्।
16. श्री अरविन्द सक्सेना, अधिशाषी अभियंता, ईजीएस मुख्यालय, ग्रामीण विकास ।
17. श्री राजेश बंसल, अधिशाषी अभियंता, जि.प. टोंक।
18. अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, टोंक एवं उदयपुर (वी.सी के माध्यम से जिला मुख्यालय)।

अधीक्षण-अभियन्ता (ग्रावि)

**बिन्दु संख्या –2 :** ग्राम पंचायत कीकासर पं0स0 सरदारशहर जिला चूरु में ग्रेवल सड़कों के क्षरण की गणना( उक्त सड़को की जांच 05.04.2010 से 10.04.2010 के मध्य की गई है) से सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा एवं तकनीकी समिति के स्तर से क्षरण एवं वसूली के सम्बन्ध में निर्णय हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

**उक्त जाँच में शामिल सड़कों का विवरण निम्नानुसार है –**

LIST OF ROAD WORK DONE IN KIKASAR GP OF SARDARSAHAR PANCHAYAT SAMITI OF CHURU DISTRICT CHURU

| SR. NO. | NAME OF ROAD | UNIQE CODE | date of works Completion as per annx.4 (1) of report duration period 05.04.10 to 10.04.10 | date of inspection by team as per inspection report | duration | avrage thickness as per report dated 18.11.10 | AS PER MB (Report dated 15.06.2011) | | AS PER MEASURED BY ENQ. TEAM ( Report dated 15.06.2011) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | LENGTH (in m) | QTY OF GRAVEL SUPLY (in Cum) | LENGTH (in m) | QTY MEASURED (in Cum) | CONVERSION IN LOOSE QTY.(4/3 of col. No. 11) (in Cum) | QTY AS PER WIDTH @3.75m (in Cum) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | SONPALSAR TO DOOWANA JOHAR | .4/4494 | 31.01.09 | 05.04.10 to 10.04.10 | 15 month | 0.15m | 3900 | 2193.75 | 3557 | 1662.93 | 2217.24 | 2027.96 |
| 2 | SONPALSAR TO KIKASAR | .4/4496 | 28.02.09 | 05.04.10 to 10.04.10 | 14 Month | 0.15m | 3500 | 1968.75 | 2975 | 1468.12 | 1957.49 | 1799.17 |
| 3 | KAWAKANSAR TO KIKASAR | .4/4557 | 31.07.08 | 05.04.10 to 10.04.10 | 21 month | 0.15m | 3500 | 1968.75 | 2995 | 1223.72 | 1631.63 | 1631.63 |
| 4 | DHIRASAR TO KARNISAR ROHI | .4/4610 | 31.01.09 | 05.04.10 to 10.04.10 | 15 month | 0.15m | 3500 | 1968.75 | 3000 | 1258.03 | 1677.37 | 1584.42 |
| 5 | KIKAASAR TO KAWALANSAR | .4/4519 | 15.02.09 | 05.04.10 to 10.04.10 | 14 month | 0.15m | 3500 | 1968.75 | 3500 | 1285.72 | 1714.29 | 1714.29 |
| 6 | KIKAASAR TO DHIRASAR | .4/4520 | 15.02.09 | 05.04.10 to 10.04.10 | 14 month | 0.15m | 3600 | 2025 | 3691 | 1362.87 | 1817.17 | 1817.17 |
| 7 | KAWALASAR TO DHIRASAR | .4/4558 | 15.02.09 | 05.04.10 to 10.04.10 | 14 month | 0.15m | 3550 | 2005.31 | 3565 | 1547.34 | 2063.12 | 2063.12 |
| 8 | KAWALNSAR TO GARAB DESAR | .4/2622 | 30.08.09 | 05.04.10 to 10.04.10 | 8 month | 0.15m | 3300 | 1856.25 | 3350 | 1314.38 | 1752.51 | 1752.51 |
| 9 | SANPALSAR TI ISHARDAS | .4/4495 | 15.06.09 | 05.04.10 to 10.04.10 | 10 month | 0.15m | 3400 | 1921.5 | 3400 | 1914.31 | 2552.41 | 2423.18 |
| 10 | KAKASAR TO DOOWANA | .4/4518 | 30.06.09 | 05.04.10 to 10.04.10 | 10 month | 0.15m | 3100 | 1906.5 | 2645 | 954.2 | 1272.27 | 1272.27 |
| 11 | SONPALSAR TO DHANI ISHARDAS | .4/2678 | 30.08.09 | 05.04.10 to 10.04.10 | 8 month | 0.15m | 3500 | 1968.75 | 3300 | 1616.93 | 2155.91 | 2046.75 |
| | | | | | | | | 21752.06 | 35978.00 | 15608.55 | 20811.41 | 20132.47 |

# राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 08.03.2018 हेतु एजेन्डा

**बिन्दु संख्या – 1** : महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित होने वाली ग्रेवल सड़कों में प्रतिवर्ष होने वाले सम्भावित क्षरण बाबत् जारी किये गये पत्र दिनांक 03.11.2011 / 10.02.2012 / 13.04.2017 के सम्बन्ध में तकनीकी राय व निर्णय – पर चर्चा।

## तथ्यात्मक स्थिति

ग्रेवल सड़कों के क्षरण के सम्बन्ध में आईआरसी स्पेशल पब्लिकेशन 20 जो कि ग्रामीण सड़कों की डिजायन, निर्माण व रुट लोकेशन का मैन्यूअल (1979 में प्रकाशन) है के बिन्दु संख्या 12.3.2 **(परिशिष्ट –1)**, विभागीय पत्रों 11/2011, 02/12 एवं 04/2017 **(परिशिष्ट 2,3,4)** के अनुसार ग्रेवल सड़कों में क्षरण की स्थिति निम्नानुसार है।

| IRC Norms | दिनांक 3.11.2011 | क्रमांक/451 दिनांक 10.02.2012 | वि.वि. स्थाई आदेश |
|---|---|---|---|
| **Maintenance 12.3.2** "Graval roads tends to lose surfacing material under action of traffic. **The losses may be of the order of 25mm thickness of material per year** for the volume of traffic envisaged for such roads in this Manual. The loss should be replenished as soon as the deficiency is noted since early attention is always beneficial. The entire surface may have to be re graveled once in 2-5 years depending on traffic, rainfall condition, type of material etc. | महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निर्मित ग्रेवल सड़कों पर प्रतिवर्ष अधिकतम **10 प्रतिशत कुटी हुई ग्रेवल की मोटाई तक (Compacted Thickness) का क्षरण अनुमत किया जा सकता है** जिसका आंकलन/ निर्णय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा किया जावेगा।<br>**क्षरण की गणना ग्रेवल सड़क कार्य के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने** की दिनांक से की जावे। | **बिन्दु संख्या –1** एम.बी में दर्ज माप के अनुसार ग्रेवल सड़क में कुटी हुई ग्रेवल की मोटाई (Compacted Thickness) में **प्रतिवर्ष क्षरण अधिकतम 1.0 सेमी अनुमत** किया जा सकता है। यह 1.0 सेमी क्षरण उन्हीं ग्रेवल सड़कों में अनुमत किया जावे जिनमें कुटी हुई ग्रेवल की मोटाई 15 सेमी हो।<br>**बिन्दु संख्या –2** यदि कुटी हुई ग्रेवल सड़क की मोटाई 15 सेमी से कम एवं 10 सेमी से अधिक है तो क्षरण अधिकतम 1.0 सेमी मानते हुए उसी अनुपात में कम करते हुए गणना की जायेगी। उदाहरण स्वरुप यदि कुटी हुई सड़क की मोटाई 10 सेमी है तो क्षरण प्रतिवर्ष 0.70 सेमी अनुमत किया जा सकता है।<br>**बिन्दु संख्या–3** यदि कुटी हुई ग्रेवल सड़क की मोटाई 10 सेमी से कम है तो उक्त सड़क निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का क्षरण अनुमत नहीं किया जावे।<br>**बिन्दु संख्या–4 क्षरण की गणना ग्रेवल सड़क कार्य के पूर्ण होने की तिथि** से की जावेगी। यदि पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है तो इस प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है या उसमें कार्य पूर्ण होने की तिथि का अंकन नहीं है तो एम.बी. में दर्ज अन्तिम माप, अन्तिम मस्टररोल, कार्यकारी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण कर हिसाब अन्तिम रुप से प्रस्तुत करने एवं अन्तिम भुगतान तिथि के आधार पर कार्य पूर्ण होने की तिथि का निर्धारण किया जावे। | विभागीय पत्र दिनांक 03.11.2011 को अतिक्रमित कर पत्र दिनांक 10.02.2012 जारी किया गया है। तथा **13.04.2017** को जारी स्थाई आदेश संख्या 31/2017 द्वारा 10.02.12 के आदेश का निरस्त किया गया है। उक्त आदेश में क्षरण हेतु निर्देश नहीं है। लेकिन नियतकालीन मरम्मत हेतु निर्देश है कि 'ग्रेवल सड़क कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के एक वर्ष पश्चात ही आवश्यकता होने पर मरम्मत कराई जा सकेगी। इस के उपरान्त पहले वर्ष में 5 प्रतिशत एवं दूसरे व आगामी वर्षों हेतु प्रत्येक वर्ष अधिकतम 10 प्रतिशत ग्रेवल सामग्री का उपयोग करते हुए ग्रेवल सड़कों का रखरखाव किया जा सकेगा। |